न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
026/2024(नि.पं.) **(GCMS 2024/26)**	**14.03.2024**	**09.02.2026**

अनवान

ग्राम पंचायत लोठियाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लोठियाना पंचायत समिति डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

श्रीमती नोजीबाई पत्नी किशनलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लोठियाना पंचायत समिति डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

गैर–निगराकार

उपस्थिति :– ललित लढा, मोहित सोनगरा — निगराकार
शिव नारायण जाट — गैर–निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
पट्टा संख्या 028 ग्राम पंचायत लोठियाना दिनांक 20.09.2019

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर–निगराकार के विरूद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना पंचायत समिति डूंगला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.09.2019 जो कि गैर–निगराकार के पक्ष में जारी किया गया हैं के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर–निगराकार को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 13.06.2024 को गैर–निगराकार की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 26.03.2025 को गैर–निगराकार की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना से पत्रांक/ग्रा0प0/लो0/2024–25 /101 दिनांक 26.07.2024 से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ हैं जो कि न्यायालय हाजा में लंबित दीगर प्रकरण संख्या 050/2024(नि.प.) के साथ हम किता होकर इस पत्रावली में भी रिकार्ड पर हैं। प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगराधीन पट्टे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच किए जाने से गैर–निगरकार को न्याय नियम एवं अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर विधि विरूद्ध जारी किए जाने की जानकारी होने से हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 1278/440 व 1277/436 के पट्टों में शिकायत प्राप्त होने से पर सतर्कता अनुभाग में प्रकरण रखकर जांच की गई, जांच की जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने का पत्र दिनांक 06.09.2023 को जारी होने पर पट्टों की जांच में पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये जाने से पट्टे की निरस्तगी हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार ने जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा जारी पट्टा गैर–निगराकर को जारी किया जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत जारी किया गया है। सर्तकता अनुभाग द्वार कोई जांच नहीं की गई और विपक्षीया के विरूद्ध कोई जांच उसकी उपस्थिति में नहीं हुई है और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने से निगरानी का कोई आधार नहीं बनता है। इस कारण निगरानी खारीज किये जाने योग्य हैं।

विपक्षीया को पात्रता के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया है। विपक्षीया विधवा महिला है और निवास हेतु पट्टा जारी किये जाने में कोई भूल नहीं की है। ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा जारी पट्टा गैर–निगराकर को जारी किया जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत जारी किया गया है। निगराकार ने निगरानी अवधि बाहर पेश की गई है जो खारीज होने योग्य है। ग्राम पंचायत लोठियाना के तत्कालीन सरपंच एवं उनकी ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किये एवं योग्य व्यक्ति को पट्टा जारी किया गया जिसे उप–पंजीयक डूंगला के समक्ष पंजीयन कराया गया जो एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार किया गया है।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि निगराधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के विपरित जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत 300 वर्गगज की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह–स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकती है। वही नियम 158(2) के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे चयनित पविार, घुमक्कड भेड पालकों को 300 वर्गगज तक निःशुल्क आबादी भूमि आवंटन कर सकती है, लेकिन विपक्षी गैर–निगराकार के पास पहले से ही भूखण्ड उपलब्ध होते हुए भी सही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जानकारी किए बिना पट्टा जारी किया गय है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 161(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य रेखा से 150 फीट तक पंचायत द्वारा आबादी भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है एवं ना ही पक्का संनिर्माण अनुज्ञात किया जा सकता है। गैर–निगराकार/विपक्षी को जारी पट्टा आराजी संख्या 1277/436 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 चित्तौड़गढ़–मंगलवाड की मध्य रेखा से 150 फीट की परिधि में आने से निरस्त किये जाने योग्य है। गैर–निगराकार को पट्टा जारी करने बाबत् वैध प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई है। आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए विधि की अवज्ञा का नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर–निगराकार को जारी पट्टा को निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :–

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)पराविं/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। हमने नियम 158 व 159 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

158. **Allotment of lands to weaker sections.-**

(1) The Panchayat may allot Abadi land up to [300 sq. yards]in village Abadis at concessional rate to members of Scheduled Caste, scavengers, Scheduled Tribes, Backward Classes, village artisans, landless persons dependent on wage labour, IRDP selected families, Handicapped, Nomatic Tribes, Gadia Lohar who do not own house sites/house and also to flood victims whose house have been washed away or the house sites have been rendered unfit for future habitation due to floods [and patta of such land may be issued in Form XXIII-C]

[IA. the Panchayat may allot abadi land upto [300 Sq. Yards] in village Abadi at concessional rate to ex-service men in bordering Panchayat Samiti areas.]

(1)	Rates to be charged from such allottees will be as under :		
	(a)	In villages having population less than 1000 (1991 census).	Rs. 2/- per sqr. mtr.
	(b)	In villages having population from 1001 to (1991 census).	Rs. 5/- per sqr. mtr. 2000
	(c)	In villages having population more than 2000 (1991 census).	Rs. 10/- per sqr. mtr.

Provided that the State Government may allot such lands free of charges to any such category of persons.

[Provided further that in case of allotment of abadi land to the families of below poverty line, the Panchayat may allot the land free of charge.]

[(2-A) The Panchayat may allot Abadi land upto 300 Sq. Yards free of charge to nomadic sheep reares.]

[(2-B) The State Government may allot Abadi land to oustees of irrigation project, equal to the house sites or house owned by them subject to maximum of 300sq. yards free of charge.]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) Abadi land allotted free of charge shall be non-transferable. A seal in block letters "NOT FOR SALE" shall be affixed on the face of all such Pattas. In case any allottee transfers on sells such house site/house to any other persons, allotment shall automatically stand cancellation, ownership shall vest in the Panchayat along with construction or material lying thereon and transferee will be ejected to trespasser on such Abadi Land.

[(3A) Thirty percent of Land allotted under this rule shall be allotted to widows and divorce women.]

(4) Panchayat may however by a resolution in the meeting, decide to allot such land by negotiation to such trespasser on market price on compassionate grounds.

(5) The allottee shall be debarred form any subsequent allotment in future

(6) Provisions contained in Sub-rules (3), (4) and (5) shall also be applicable for shop sites allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes etc., in Panchayat areas.

(7) For allotment of houses sites to flood victims at another place/places, the Panchayat concerned shall invite applications from such persons along with an undertaking that in case of allotment of house sites at another place/places, the house sites washed away in flood aiong with material shall vest in the Panchayat concerned free from all encumbrances.

159. **Allotment of lands on concessional price.-**

(1) The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.

[(2) The Panchayat may also allot plots upto 1500 sq. yards in abadi area, on priority basis, for construction of godowns/ offices to-

(i) Primary Agricultural Cooperative Society/Large Sized Multipurpose Marketing Society, at 50% of the Market price as mentioned in sub-rule (5) of Rule 152;

(ii) Gram Sewa Sahakari Samiti or Kray Vikary Sahakari Samiti, free of charge subject to confirmation by the State Government.]

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियम 140 से नियम 159 तक में भूखण्ड नीलामी के प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं, जो कि बाध्यकारी है। नियम 141 में प्रावधित किया गया है कि भूमि का विक्रय साधारणतया नीलमी के माध्यम से किये जायेगें जब तक की ऐसा ने करने के लिए विशेष कारण न हो। पंचायत ऐसी भूमियों का अग्रिम रूप से नियत किये गये निलामी कार्य्रक्रम के माध्यम से विक्रय करने का विनिश्चय कर सकेगी। नियम 142 के तहत आबादी के विकास के लिए भूमि पंचायत को अंतरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज्य विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न हो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए स्कीमें अनुमोदित विकास योजना के अनुसार तैयार की जायेगी। ऐसी स्कीमों का क्रियान्वयन अनुमोदित प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। नियम 143 में आबादी क्षेत्रों में भूखण्डों के नीलामी के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 145 के तहत आबादी भूमि या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो। नियम 146 के तहत तीन पंचों की कोई समिति 15 दिवस के भीतर–भीतर स्थल का निरीक्षण कर आवेदित विक्रय की वांछनीयता को संबंध में पंचायत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। नियम 147 के तहत पंचायत बैठक में अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करेगी कि प्रस्तावित विक्रय किया जाय या नहीं। नियम 148 के तहत पंचायत अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाये तो वह उप–नियम 2 में अधिकथित रीति से प्रपत्र 22 में नोटिस प्रस्तावित विक्रय के संबंध में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। नियम 148 के तहत आमंत्रित आक्षेपों का नियम 149 के तहत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुऐ निपटारा किया जावेगा। नियम 150 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमि के किसी ऐसी तारीख को जो संकल्प के आदेश की तारीख से एक मास से पूर्व की न हो, और विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समय और स्थान पर नीलाम का आदेश देगी। नियम 151 के तहत नीलामी समिति का गठन किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 152 के तहत बाजार कीमत का प्रावधान प्रावधित है। नियम 154 के तहत बोली की स्वीकृति विहित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन होगी। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह–स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उप–नियम 2 में वसूली योग्य दरे प्रावधित की गई है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। उप–नियम 3 के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बडे अक्षरों में **''विक्रय के लिए नहीं''** की मुहर लगाई जायेगी। नियम 159 में भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विकता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं हैं) जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं, नियम 152 के उप–नियम (5) में उल्लिखिति बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/अध्ययन/परिशीलन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख से जाहिर होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्लान/योजना के संबंध मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई नक्शा, ले–आउट प्लान जो कि सक्षम स्तर से अनुमोदित हो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क/रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई प्लान/योजना का सक्षम स्तर से अनुमोदन नहीं कराया जाना जाहिर होता है। पंचायतीराज नियम 158 एवं 159 के तहत आवंटित भूखण्ड के संबंध में नियम 152 के तहत बाजार कीमत का प्रावधान प्रावधित है। नियम 152 के तहत निर्धारित बाजार कीमती के आधार पर रियायती दरों पर भूखण्ड आंवटित किये जा सकते है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली पर इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगराधीन पट्‌टे पर बडे अक्षरों में **''विक्रय के लिए नहीं''** की मुहर नहीं लगाई गई जो कि नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी है। प्रकरण में आवेदकों के प्रार्थना–पत्र(आवेदन पत्र/मिसल) भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूखण्ड के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण–पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा जारी सूचना–पत्र बाबत् आबादी भूमि प्रस्तावित विक्रय संबंध में आक्षेप आमंत्रित किये जाने वाले प्रारूप को किस रीति से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रथम दृष्टवा ही यह मात्र खाना–पूर्ति प्रतीत होता है। इसके साथ ही पट्‌टो की जांच के संबंध में विकास अधिकारी डूंगला द्वारा अपने पत्रांक/पंसडू/पंचायत /2023–24/869 दिनांक 18.09.2023 में प्रतिवेदित किया गया है कि **तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158(1) व 158(2) में रियायती दर व निःशुल्क भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें उक्त नियमों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये 50 पट्‌टे के परिवारों के पास पहले से ही भूखण्ड उपलब्ध होने के बावजूद एक ही परिवार के दो–दो सदस्यों को पट्‌टे जारी किये गये है, जो नियमों का उल्घंघन किया गया है।** इसके साथ ही निगराकार द्वारा निगरानी के माध्यम से पट्‌टा जारी किये जाने की प्रक्रिया के बाबत् प्रावधित प्रावधानों के संबंध में उज्र किया जाकर प्रक्रियात्मक तथ्य उठाये गये हैं जिस पर गैर निगराकार द्वारा किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया गया है। गैर–निगराकार द्वारा दीगर तथ्यों के संबंध में कथन किया गया पट्‌टें की वैधानिकता के संबंध में किसी भी प्रकार से कथन नहीं किया गया है एवं गैर–निगराकार द्वारा पट्‌टे जारी किये जाने के प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पुष्ठि किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा हस्तगत विवादित पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों एवं प्रावधानो की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना पंचायत समिति डूंगला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टे को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत लोठियाना पंचायत समिति डूंगला द्वारा विवादित बुक संख्या 114 पट्टा संख्या 028 दिनांक 20.09.2019 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता हैं, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत लोठियाना द्वारा जारी बुक संख्या 114 पट्टा संख्या 028 दिनांक 20.09.2019 जो कि गैर–निगराकार श्रीमती नोजीबाई पत्नी किशनलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लोठियाना पंचायत समिति डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी डूंगला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख दीगर प्रकरण संख्या 050/2024(नि.प.) के साथ हम किता रहे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**09.02.2026**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official